

17  
18

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ..... 332

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... की अनुमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... को अमाबन्दी सम्बन्ध 2074-2077 में छाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

- आदेश :-

ग्राम के "छाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पहचानी ..... व भू.अ.वि. .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... की अनुमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... को अमाबन्दी सम्बन्ध 2074-2077 में छाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	छाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	भुनाटा गा बाल	80	श्रीवातिक कु मोहनराज	श्रीवातिक कु भुनाटा
2.	मारीगाहा	134	दण्डमान सिंह कु सुखाकि	दण्डमान सिंह कु सुखाकि

प्रभारी पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 7/6/22

क्रमांक :- 100

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फासना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
(पीठासीन अधिकारी)